

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 2071/सम्पदा/25

भोपाल, दिनांक 18/11/25

विभिन्न आकार के सिग्लेक्स भवनों के विक्रय ऑनलाईन हेतु

ऑफर आमंत्रण

प्राधिकरण की स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, योजना स्थित रिक्त सिग्लेक्स भवनों का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 20-11-25 से दिनांक 08-12-25 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 09-12-25 को खोले जायेंगे।

क्रं	भवन/ईकाई यों का विवरण	भवन /इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी0 प्रत्येक भवन	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भवन /इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भवन	पट्टे लीज पर प्रतिवर्ष भू-भाटक मूल्य में सम्मिलित	पंजीयन राशि प्रति भवन (निकष रकम)
1	2	3	4	5	9	10	11
1	डी-138	आवासीय	135	सामान्य	72,23,390/-	—	7,22,339/-
2	डी-139	आवासीय	135	सामान्य	72,23,390/-	—	7,22,339/-
3	डी-152	आवासीय	112	सामान्य	60,05,011/-	—	6,00,501/-
4	डी-159	आवासीय	112	सामान्य	60,05,011/-	—	6,00,501/-
5	ए-27	आवासीय	135	सामान्य	72,23,390/-	—	7,22,339/-
6	ए-28	आवासीय	135	सामान्य	72,23,390/-	—	7,22,339/-
7	सी-18	आवासीय	135	सामान्य	72,23,390/-	—	7,22,339/-

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- भवनों का स्थल पर निरीक्षण कर, ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
- भवनों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
- सिग्लेक्स भवन लीजहोल्ड पर विक्रय हेतु निर्धारित है।
- समिति शुल्क, सेवा प्रभार की राशि पृथक से देय होगी।
- भवनों की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
- शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
- वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।
- किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, भोविप्रा, भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
- समिति शुल्क, सेवा प्रभार पृथक से देय होगा तथा कॉर्नर शुल्क/24 मीटर रोड/पार्क फेंसिंग के भूखण्ड पर निर्मित डूफ्लेक्स भवनों के भूखण्ड मूल्य का कलेक्टर गाईड के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि कीमत में सम्मिलित है।
- आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौती कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- जी0एस0टी शासन नियमानुसार 5प्रतिशत देय होगी।

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल